

मत्स्य निदेशालय,  
झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-II-उप यो0-50/2017-18/ 03 (आ0) /मत्स्य/राँची/दिनांक 18.06.2021

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,  
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,(सभी)  
जिला मत्स्य पदाधिकारी,(सभी)  
मुख्य अनुदेशक, म0कि0प्र0के0, राँची।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मो0 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग-

सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 01 रा0 (वि0) दिनांक 07.06.2021, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 368, आवंटनादेश सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 14.06.2021 तथा ऑन-लाईन आवंटन सं0- 933, 934 एवं 935 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत मो0 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रु0 मात्र संलग्न विवरणी के अनुरूप सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 01 रा0 (वि0) दिनांक 07.06.2021, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 368, आवंटनादेश सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 14.06.2021 तथा ऑन-लाईन आवंटन सं0- 933, 934 एवं 935 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. उपर्युक्त आवंटन योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 224/बजट, दिनांक 30.03.2021 के आलोक में शत-प्रतिशत अधिसीमा अंतर्गत अग्रांकित लघु शीर्षों में आवंटित किया जाता है।





3. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन/उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आबंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 03-प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जिकरण (सामग्री)	विस्तृत शीर्ष- 07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050010 106010323	53S2405001010 6010543	53S2405001 0106010759	
1	2	3	4	5	6
1	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, हजारीबाग	19790730	700000	100000	20590730
2	जि०म०पदा०, रामगढ़	10174360	600000	100000	10874360
3	जि०म०पदा०, कोडरमा	13863500	600000	100000	14563500
4	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, चतरा	9192730	100000	100000	9392730
5	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, बोकारो	17048500	700000	100000	17848500
6	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गिरीडीह	8258510	100000	100000	8458510
7	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, धनबाद	13104730	600000	100000	13804730
8	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गोड्डा	8126480	525000	100000	8751480
9	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, पलामू	9636880	100000	100000	9836880
10	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गढ़वा	8224380	100000	100000	8424380
11	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, देवघर	13577730	600000	100000	14277730
कुल योग:		130998530	4725000	1100000	136823530

03(3/10)  
18/06/21

2011

2

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 03- प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री	विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जिकरण (सामग्री)	विस्तृत शीर्ष- 07- अन्य व्यय 59 अन्य व्यय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050079 606010323	53S2405007960 6010543	53S2405007 9606010759	
1	2	3	4	5	6
1	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, राँची	18180165	2600000	100000	20880165
2	जि०म०पदा०, खूँटी	5917618	100000	100000	6117618
3	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गुमला	10548360	225000	100000	10873360
4	जि०म०पदा० सिमडेगा	7930118	100000	100000	8130118
5	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, लोहरदगा	7265463	350000	100000	7715463
6	जि०म०पदा० लातेहार	6824226	100000	100000	7024226
7	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, चाईबासा	15110315	350000	100000	15560315
8	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, जमशेदपुर	7786855	100000	100000	7986855
9	जि०म०पदा०, सरायकेला	28029920	900000	200000	29129920
10	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, दुमका	12247710	500000	100000	12847710
11	जि०म०पदा०, जामताड़ा	7637110	225000	100000	7962110
12	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, साहेबगंज	4513000	100000	100000	4713000
13	जि०म०पदा०, पाकुड़	5907860	100000	100000	6107860
14	मु०अनु० मत्स्य किसान प्रशि० के० राँची	1190000	500000	0	1690000
कुल योग:		139088720	6250000	1400000	146738720

मो० चौदह करोड सड़सठ लाख अड़तीस हजार सात सौ बीस रु० मात्र।

03/06/21  
18/06/21

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना/उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आबंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 03- प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री
	विपत्र कोड	53S24050078906010323
1	2	3
1	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, राँची	2383826
2	जि०म०पदा०, खूँटी	835600
3	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गुमला	1389500
4	जि०म०पदा० सिमडेगा	522800
5	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, लोहरदगा	972826
6	जि०म०पदा० लातेहार	611700
7	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, चाईबासा	751700
8	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, जमशेदपुर	636700
9	जि०म०पदा०, सरायकेला	3149500
10	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, दुमका	1021700
11	जि०म०पदा०, जामताड़ा	806700
12	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, साहेबगंज	711700
13	जि०म०पदा०, पाकुड़	950600
14	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, हजारीबाग	2542868
15	जि०म०पदा० रामगढ़	1160840
16	जि०म०पदा० कोडरमा	1833640
17	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, चतरा	891700
18	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, बोकारो	1713640
19	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गिरीडीह	1104500
20	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, धनबाद	1494190
21	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गोड्डा	1135050
22	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, पलामू	866700
23	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, गढ़वा	657800
24	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, देवघर	1853497
कुल योग:		29999277

मो० दो करोड निन्यान्वे लाख निन्यान्वे हजार दो सौ सतहत्तर स० मात्र।

03/31/21  
18/06/21  
M J

6. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान अन्तर्गत निकासी की जाए।
7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 15 तारीख तक निदेशालय को अनिवार्य रूप उपलब्ध करावें।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों/कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाये। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
10. राशि की निकासी झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाये। तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाये।
11. आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
12. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो।
13. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है।
14. स्वीकृत्यादेश सं0 01 रा0 (विभाग) दिनांक 07.06.2021 एवं आवंटनादेश के कंडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाए।
15. COVID-19 महामारी के कारण योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि की निकासी से संबंधित दिशा निर्देश/आदेश के आलोक में राशि की निकासी की जाएगी। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
16. सामग्री का क्वे जेम अथवा स्थापित प्रक्रिया का पालन कर ही किया जाएगा।

23/3/20  
18/06/21

24

25

17. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे **Drop** कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

18/06/21

(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं०सं०-म०नि०-II-उप यो०-50/2017-18/ 03 (आ०)/मत्स्य/राँची/दिनांक 18.06.2021



प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक एवं उप मत्स्य निदेशक, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06/21

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं०सं०-म०नि०-II-उप यो०-50/2017-18/ 03 (आ०)/मत्स्य/राँची/दिनांक 18.06.2021

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/06/21

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।